

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	वर्ग 76/25 (163 BSSS)	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2		3

८/८/२५

आदेश

उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत कारण पृच्छा का अध्ययन करने, उभय पक्ष द्वारा संलग्न राजस्व दस्तावेजों का अवलोकन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि उभय पक्ष आपस में सहोदर रिश्तेदार हैं तथा उनके मध्य का विवाद जमीन के बँटवारे से संबंधित है। चूँकि जमीन का बँटवारा अधोदस्ताक्षरी के अधिकार क्षेत्र में नहीं है अतः प्रस्तुत वाद में किसी भी पक्ष के हित में व या विरुद्ध कोई अंतिम आदेश पारित करना न्यायोचित नहीं है। प्रथम पक्ष को निर्देशित किया जाता है कि वे सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर मामले का निपटारा कर सकें। उक्त आदेश के साथ ही वाद की कार्यवाई समाप्त घोषित की जाती है।

नैरवधि एवं संशोधित

८/८/२५

८/८/२५